

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जून 2019—ज्येष्ठ 14, शक 1941

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2019

क्र. 32-2018-19-म.-इकतीस.—यतः, लोक सभा निर्वाचन मई, 2019 में होने के कारण, परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कालावधि सीमित हो गई है, अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 4 की उपधारा (3) तथा (7) के अधीन जल उपभोक्ता संथा के टी. सी. सदस्यों एवं अध्यक्षों का निर्वाचन कराने हेतु विभाग के मैदानी अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता कठिन होगी.

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल उपभोक्ता संथा निर्वाचन, 2019 की शेष गतिविधियां एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गोपाल रेड्डी, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2019

क्र. 32-2018-19-म.-इकतीस.—भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-2018-19-म.-इकतीस, दिनांक 04 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गोपाल रेड्डी, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 4th June 2019

No. 32-18-2019-M-XXXI.—WHEREAS, due to the Parliamentary elections held in may 2019, the period available for construction work of the Projects has been limited, therefore, the availability or services of the field

officers of department shall be difficult to conduct the election of T. C. members and Presidents of Water User's Association under sub-section (3) and (7) of Section 4 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhinyam, 1999 (No. 23 of 1999).

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 41 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhinyam, 1999 (No. 23 of 1999), the remaining activities of Water User's Association Election, 2019 are hereby, postponed with immediate effect till further orders.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. GOPAL REDDY, Addl. Chief Secy.